

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(गौरव अग्रवाल, आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

39 / 2020
08.07.2020

1-श्रीमति मिनाली शर्मा पत्नि स्व0 पीयूष पुत्र श्री जगदीश शर्मा जाति ब्रह्मण उम्र लगभग 28 वर्ष निवासी देवली हाल-निवासी 767 गोपालजी का मन्दिर वारियों का बाग, गंगापोल सुभाष चोक जयपुर राज0 हाल पदस्थापित कनिष्ठ लिपिक पंचायत समिति आमेर जिला-जयपुर राजस्थान

-अपीलार्थी

बनाम

1-श्रीमदनारायण शर्मा पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्रह्मण उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी विवेकानन्द कालोनी, देवली थाना देवली जिला-टोंक

-रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 15 वरिष्ठ नागरिका भरण पोषण एवं कल्याण अधि0 2007 विरुद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली दिनांक 30-8-2019



स्थिति : (1) श्री महेश कुमार शर्मा अभिभाषक अपीलान्त
(2) श्री संजय जैन अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 12-11-2020


अपील सांरांश मे इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी देवली ने अपने निर्णय दिनांक 30-8-2019 के द्वारा अपीलान्ट से रेस्पोडेण्ट्स को 5000 रुपये प्रतिमाह का अवारड पारित किया है। अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी देवली के उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलान्ट व रेस्पो0 अभिभाषकों की बहस सुनी।

अभिभाषक अपीलान्टस ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एकतरफा में पारित किया है जिसमें अपीलार्थी को सुनवाई का कोई अवसर विधिवत रूप से नहीं दिया गया है एवं जब तक प्रकरण में पक्षकारों को पूर्ण रूप से सुनवाई का मौका ही नहीं दिया जाता तब तक किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित किया जाना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। चूंकि प्रकरण में अपीलार्थी के द्वारा जवाब तक पेश नहीं हुआ है, न ही साक्ष्य दी गई है ओर न ही गवाहान गवाही आदि करवाई गई है उसके बावजूद भी एकतरफा में जो आदेश पारित किया गया है वह निरस्तनीय है। रेस्पोडेण्ट की पत्नि श्रीमति प्रमिला शर्मा राजकीय से

- 334 -




जिला कलेक्टर
टोंक

में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी उसनी पेंशन के रूप में रेस्पोंडेण्ट को प्रतिमाह 30000/रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे हैं। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा जारी एवं अन्य लाभ परिलाभ भी प्राप्त करता आ रहा है। इसके अतिरिक्त रेस्पोंडेण्ट की पत्नी जब राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुई तब लगभग 40-50 लाख रूपये की राशि बतौर पी0एफ0 आदि के रूप में प्राप्त हुई थी वह भी रेस्पोंडेण्ट के पास ही है। रेस्पोंडेण्ट का एक बड़ा मकान है जिसके कई कमरे किराये पर दे रखे हैं 8-10 हजार रूपये की आय किराये के रूप में हो रही फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्यों पर गौर किये बिना ही अपीलान्तिन आदेश पारित कर भूल की है। रेस्पोंडेण्ट को अपीलान्तिन को जबरन हेरान परेशान करने की नियत से भरण पोषण राशि का अवार्ड न्यायालय को गुमराह कर पारित करवाया है जो निरस्त योग्य है।

अभिभाषक अपीलान्तिन द्वारा यह भी कथन किया कि अपीलार्थी के दो पुत्र हैं जो दोने ही स्कूल जाते हैं उनका समस्त शिक्षा-पढाई का खर्चा मकान किराया आदि समस्त खर्चे अपीलार्थी स्वयं उठाती है अपीलार्थी अभी परिवीक्षा काल में कार्यरत है उसे फिक्स वेतन मिलता है ऐसी स्थिति में बच्चों का खर्चा पूरा नहीं हो पाता है इसलिए वह किसी भी प्रकार का खर्चा अदा करने में पूर्णतय सक्षम नहीं है। रेस्पोंडेण्ट झगडालू किस्म का गुस्सले व्यक्ति है ओर वह अपीलार्थी को उसके पति के जीवनकाल से ही शारीरिक मानसिक, आर्थिक एवं भावनात्मक रूप से रिरन्तर प्रताडित करता आ रहा है बल्कि लज्जा भंग करने का भी प्रयास किया था जिस पर रेस्पोंडेण्ट के विरुद्ध ए0सी0जे0एम0 क्रम सं 10 जयपुर में प्रकरण पेश कर रखा है जो जेरकार है। रेस्पोंडेण्ट को कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही, उनके द्वारा उक्त तथ्यों बाबत किसी प्रकार की कोई साक्ष्य पेश की है। अपीलान्तिन को अपीलान्तिन आदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं हो सकी थी, जानकारी प्राप्त होते ही उसने नकल हेतु आवेदन पेश किया नकल प्राप्त होने के पश्चात उनके द्वारा जिला न्यायाधीश टोंक के यहाँ दिनांक 25-2-2020 को अपील प्रस्तुत की गई है, किन्तु क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण उक्त अपील को दिनांक 4-3-2020 को नोटप्रेस करदी गई थी उसके पश्चात अधिवक्ता द्वारा विधि सलाह प्राप्त की फिर नकल प्राप्ति से प्रस्तुत अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है, जो विलम्ब हुआ है वह उक्त कारण वंश हुआ है जिसे क्षम्य करने के लिए दफा-5 मियाद धिनियम का प्रार्थना पृथक से पेश है, प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 30-8-2019 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पोंडेण्ट के अभिभाषक ने अपीलान्तिन की बहस के जवाब में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिवत रूप से सुनवाई कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थी को विधिवत नोटिस भिजवाये गये जिनकी तामील होने के बावजूद भी अपीलार्थी जानबूझकर माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई। जिस पर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को बार-बार जरिए नोटिस बुलाने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने एवं विधिसम्मत तरीके से एवं रेस्पोंडेण्ट की आर्थिक, शारीरिक परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में दचित निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी के स्व0 पति व रेस्पोंडेण्ट के पुत्र स्व0 पीयूष शर्मा की मृत्यु के बाद जितने भी लाभ, परिलाभ बीमा क्लेम आदि के लगभग 15 लाख रूपये आये थे वह सम्पूर्ण राशि अपीलार्थी के पास है तथा अपीलार्थी को प्रत्येक माह तन्ख्वाह मिलती है रेस्पोंडेण्ट को किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है। इस कारण रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा किया गया निर्णय उचित है एवं रेस्पोंडेण्ट अपीलार्थी से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी द्वारा रेस्पोंडेण्ट को हेरान परेशान करने व चल-अचल सम्पत्ति को हड़पने की नीयत से आये

दिन अपने परिवारजनों को लेकर देवली आती है ओर लड़ाई झगड़ा करने की अभ्यस्थ रही है तथा रेस्पोंडेण्ट के द्वारा स्व० पीयूष को काफी रूपये खर्च कर दिलवाई गई कार को अपने साथ जयपुर ले गई। जिस पर रेस्पोंडेण्ट के द्वारा अपीलार्थी व उसके परिवारजन के विरुद्ध पुलिस थाना देवली में दो अलग अलग मुकदमें दर्ज करवा रखे हैं निकां एफ०आई०आर० नम्बर 217/19 व 412/19 हैं। रेस्पोंडेण्ट द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भरण-पोषण का आवेदन पेश करने के उपरान्त प्रकरण की जानकारी होने के बावजूद भी वह तारीख पेशियों पर उपस्थित नहीं हुई ओर भरण-पोषण अदा नहीं करने की नीयत से गलत तथ्य वर्णित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध यह अपील पेश की है जो चलने योग्य नहीं है अपितु खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी रेस्पोंडेण्ट के पक्ष में जो निर्णय व आदेश पारित किया गया है वह पूर्ण रूप से न्यायोचित है, केवल मात्र अपीलार्थी भरण-पोषण राशि नहीं देना चाहती है इसलिए अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को मय हर्जा-खर्चा खारिज फरमाई जावे।

हमने अभिभाषक अपीलान्ट्स एंव रेस्पोंडेण्ट के कथन पर मनन किया। प्रकरण की पत्रावली एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का अवलोकन किया। अभिभाषकगण द्वारा ने अपने अपने कथनों की पुष्टि में दस्तावेजात प्रस्तुत किये हैं। उक्त अधिनियम की धारा 16 में उल्लेखित है कि "अधिकरण के आदेश से व्यथित कोई वरिष्ठ नागरिक या माता-पिता, आदेश की तिथि से साठ दिवसों के अन्दर अपील अधिकरण के समक्ष अपील दाखिल कर सकेगा"। अपीलान्ट वरिष्ठ नागरिक नहीं है अतः इस अधिनियम के तहत वह अपील प्रस्तुत नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-8-2019 में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-8-2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 12-11-2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गौरव अग्रवाल)
जिला न्यायाधीश
टोक